

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

क्रमांक रीडर/2025/6028

पीठासीन अधिकारी-श्री वीरमा राम, आर.ए.एस

दिनांक - 11/07/25

प्रार्थीगण

बनाम

अप्रार्थीगण

1 गोरखाराम पुत्र रावताराम 2 तुलसी पत्नि रावताराम 3 मोहनलाल 4 हेमाराम पिसरान रावताराम जाति भील निवासी सर का पार बांदरा तहसील व जिला बाड़मेर।

1 कमलादेवी पत्नि भंवराराम 2 केहराराम 3 जुंझाराम पिसरान भंवराराम 4 मोटाराम पुत्र लिछमणाराम 5 राजुराम पुत्र भंवराराम 6 बगताराम पुत्र लिछमणाराम 7 अणसीदेवी पत्नि भंवराराम 8 उकाराम पुत्र जेराराम 9 केसाराम पुत्र भंवराराम 10 कानाराम पुत्र जेराराम 11 किस्तुराराम पुत्र भंवराराम 12 दुर्गाराम 13 पेमाराम पिसरान जेराराम 14 पवनी 15 रमेश पिसरान भंवराराम 16 कानु पत्नि पोकरराम 17 गिराधारीराम पुत्र मंगलाराम 18 टीकुराम पुत्र पोकरराम 19 भुराराम 20 रूपाराम 21 शंकराराम पिसरान मंगलाराम 22 सुखी पत्नि मंगलाराम 23 हुकमाराम 24 हिमथाराम पिसरान पोकरराम जाति भील 25 आईदानराम पुत्र अअलसराम 26 गुडीदेवी पत्नि लुम्भाराम 27 नरसिंगाराम 28 शेराराम पिसरान अलसाराम जाति माली निवासी सर का पार बांदरा तहसील व जिला बाड़मेर। 29 सहायक अभिन्ता, पी डब्लु डी बाड़मेर 30 तहसीलदार, बाड़मेर ग्रामीण।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128,111 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम,करने नेखमबन्दी बाबत राजस्व आवेदन संख्या :- 174/2025

दिनांक- 09/07/25

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा सर का पार पटवार क्षेत्र बांदरा तहसील बाड़मेर ग्रामीण जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 615 रकबा 0.0324 हैक्टर, खसरा संख्या 920/616, रकबा 17.6847 हैक्टर व खसरा संख्या 922/616 रकबा 0.2590 हैक्टर, भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नहीं करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 04.08.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीश्नर शुल्क रूपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थीगण द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।


(वीरमा राम)

उपखण्ड अधिकारी,
उप खण्ड अधिकारी

बाड़मेर 11/07/25

क्रमांक :- रीडर/2025/6029 - 6032

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी बांदरा तहसील बाड़मेर ग्रामीण को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी गोरखाराम पुत्र रावताराम जाति भील निवासी सर का पार बांदरा तहसील व जिला बाड़मेर।
4. विप्रार्थीगण कमलादेवी पत्नि भंवराराम पोकरराम जाति भील निवासी सर का पार बांदरा तहसील व जिला बाड़मेर।



उपखण्ड अधिकारी,

बाड़मेर

उप खण्ड अधिकारी

बाड़मेर